

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 32 दिनांक 10.10.2017

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य हेतु 85 वार्डों में निजी संस्थाओं (एन.जी.ओ) के माध्यम से कचरा संग्रहण कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों पर किये हुये अनुबंध की कार्यावधि बढ़ाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 48 दिनांक 02.08.2017 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य हेतु 85 वार्डों में निजी संस्थाओं (एन.जी.ओ) के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत न्यूनतम दर पर 10 माह हेतु कार्य अवधि वृद्धि करने की कार्योत्तर स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 32 दिनांक 10.10.2017

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य हेतु 85 वार्डों में निजी संस्थाओं (एन.जी.ओ) के माध्यम से कचरा संग्रहण कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों पर किये हुये अनुबंध की कार्यावधि बढ़ाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 48 दिनांक 02.08.2017 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थित एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य हेतु 85 वार्डों में निजी संस्थाओं (एन.जी.ओ) के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत न्यूनतम दर पर 10 माह हेतु कार्य अवधि वृद्धि करने की कार्योत्तर स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबद समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 33 दिनांक 10.10.2017

प्रोजेक्ट-अमृत के कार्यों की पी.एम.सी. कन्सलटेन्ट की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1628 इन्दौर, दिनांक 21.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रोजेक्ट-अमृत परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पी.एम.सी. कन्सलटेन्ट नियुक्त करने की स्वीकृति व इस हेतु आर.एफ.पी. डाक्यूमेन्ट का अनुमोदन व निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 34 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर शहर के मुख्य तीन नालो भमोरी, पिलियाखाल एवं पलासिया में मिलने वाले सेकेण्डरी सीवरेज आउटफॉल्स को प्राईमरी लाईन में जोडने का कार्य, हाउस सर्विस कनेक्शन कार्य, सांवेर रोड इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में एवं पुराने इन्दौर शहर के अन्य क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क का कार्य अन्य समस्त कार्यो सहित सर्वे, इन्वेस्टीगेशन, इंजीनियरिंग, प्रदाय, निर्माण, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग कार्य की निविदादर का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 1689 दि. 03.10.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय दि. 06.10.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य की प्राक्कलन लागत राशि रूपये 96.21 करोड़ की आमंत्रित निविदा में प्राप्त 02 निविदाओं में से मेसर्स एन.पी.पटेल एण्ड कंपनी, अहमादाबाद की प्राप्त दर राशि रूपये 89,75,43,090/- (राशि रूपये नवासी करोड़ पचहत्तर लाख त्रियालीस हजार नब्बे मात्र) की निविदा, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है तथा अनुमोदन हेतु राज्य शासन द्वारा गठित स्टेट लेविल टैक्निकल कमेटी (एस.एल.टी.सी.) की ओर अनुशंसा के साथ भेजा जावे।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 35 दिनांक 10.10.2017

अमृत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवरेज योजना के कार्यों की तकनीकी प्रशासकीय एवं तदनुसार निविदा करने की पुष्टि एवं डी.पी.आर. एसएलटीसी को भेजने की पुष्टि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1694 दिनांक 04.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में अमृत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवरेज योजना के कार्यों हेतु मेसर्स डी.आर.ए. कन्सलटेन्ट द्वारा बनाई गई प्राक्कलन राशि रूपये 266.84 करोड़ की डी.पी.आर.की तकनीकी एवं प्रशासकीय कार्योंत्तर स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण करने एवं डी.पी.आर. राज्य स्तर पर गठित समिति एस.एल.टी.सी. को भेजने की पुष्टि सर्वसम्मति की जाती है।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 36 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर जलप्रदाय सिस्टम हेतु 27 नवीन ओवरहैड टैंक्स एवं 7 विद्यमान ओवरटैंक के जलप्रदाय डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हेतु प्रदाय, डालने, जोड़ने, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य तथा पुराने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पुर्नस्थापना कार्य, घरेलू कनेक्शन सहित एवं मॉनिटरिंग सिस्टम का समस्त कार्य एवं 10 वर्ष का संचालन व संधारण कार्य की निविदादर का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1692 दिनांक 03.10.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय दिनांक 06.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु प्राक्कलन लागत राशि रूपये 316.48 करोड़ की आमंत्रित निविदा में प्राप्त 07 निविदाओं में से मेसर्स लारसन एण्ड टुर्बो, चैन्नई की प्राप्त दर राशि रूपये 287.17 करोड़ (राशि रूपये दो सो सत्यासी करोड़ सत्रह लाख) की निविदा, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है तथा अनुमोदन हेतु राज्य शासन द्वारा गठित स्टेट लेविल टैक्निकल कमेटी (एस.एल.टी.सी.) की ओर अनुशंसा के साथ भेजा जावे।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 37 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर जलप्रदाय सिस्टम अन्तर्गत ओवरहेड टैंक्स के लिए फीडर मैन प्रदाय, डालने, जोड़ने, टैस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य तथा ओवरहेड टैंक्स निर्माण के कार्य हेतु रुपांकन, निर्माण, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग कार्य एवं बल्क वॉटर मैनेजमेन्ट, स्कॉडा कार्य सहित समस्त कार्य एवं 10 वर्ष का संचालन व संधारण कार्य की निविदादर का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1691 दिनांक 03.10.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय दिनांक 06.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य में केपीटल कार्य हेतु प्राक्कलन राशि रूपये 288.69 करोड़ की आमंत्रित निविदा में प्राप्त 16 निविदाओं में से मेसर्स रेमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. हैदराबाद की प्राप्त दर राशि रूपये 280.00 करोड़ (राशि रूपये दो सौ अस्सी करोड़) की निविदा, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है तथा अनुमोदन हेतु राज्य शासन द्वारा गठित स्टेट लेविल टैक्निकल कमेटी (एस. एल.टी.सी.) की ओर अनुशंसा के साथ भेजा जावे।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 38 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का स्कॉडा सहित कार्य, 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीवरेज नेटवर्क कार्य एवं विद्यमान 245 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से 13 एमएलडी एफ्लुएन्ट के पुर्नउपयोग हेतु एक ओवरहेड टैंक एवं पाईप लाईन नेटवर्क कार्य एवं सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एवं अन्य कार्यों हेतु सर्वे, इन्वेस्टीगेशन इंजीनियरिंग, प्रदाय निर्माण एवं कमीशनिंग कार्य तथा 10 वर्ष के कार्य का संचालन व संधारण कार्य की निविदादर का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1688 दिनांक 03.10.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय दिनांक 06.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य में प्राक्कलन लागत राशि रूपये 164.16 करोड़ की आमंत्रित निविदा में प्राप्त 4 निविदाओं में से मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद की प्राप्त दर राशि रूपये 2,02,15,89,487.00 (राशि रूपये दो सौ दो करोड़ पन्द्रह लाख नवासी हजार चार सौ सतासी) की निविदा, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है तथा अनुमोदन हेतु राज्य शासन द्वारा गठित स्टेट लेविल टैक्निकल कमेटी (एस.एल.टी.सी.) की ओर अनुशंसा के साथ भेजा जावे।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 39 दिनांक 10.10.2017

प्रोजेक्ट अमृत के अन्तर्गत इन्दौर शहर में जलप्रदाय हेतु वर्तमान रॉ एवं क्लीयर वाटर सिस्टम, ट्रीटमेन्ट एवं पंपिंग व्यवस्था के साथ सुधार एवं सुदृढीकरण की निविदादर के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1690 दिनांक 03.10.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय दिनांक 06.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य में प्राक्कलन लागत राशि रूपये 29.93 करोड़ की आमंत्रित निविदा में प्राप्त 06 निविदाओं में से मेसर्स एशियाटिक ट्रेडर्स, इन्दौर की प्राप्त दर राशि रूपये 26.55 करोड़ (राशि रूपये छब्बीस करोड़ पचपन लाख) की निविदा, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है तथा अनुमोदन हेतु राज्य शासन द्वारा गठित स्टेट लेवल टैक्निकल कमेटी (एस.एल.टी.सी.) की ओर अनुशंसा के साथ भेजा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 40 दिनांक 10.10.2017

शहर के प्रमुख मार्गों के निर्माण के एप्रोच रोड़ एवं लिंक रोड़ पैकेज-3 के निर्माण कार्य के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 264/सीई/योजना/ दिनांक 27.07.17 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान समिति की राय क्रमांक 42 दिनांक 18.08.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 25,00,00,000/-के कार्य की तृतीयबार दिनांक 13.06.017 को प्राप्त निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मे. अग्रोह इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 13.25 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 3,31,25,000/- सहित कुल आकार राशि रूपये 28,31,25,000/-की प्रशासकीय तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. निविदा की शर्त अनुसार प्राईज वेरीएशन एडजेस्टमेंट का भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. शहर के लिंक रोड़ एवं एप्रोच रोड़ (पैकेज-3) की सड़कों के चयन हेतु महापौर, प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग तथा आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2017

झोन क्र. 08 वार्ड 35 ए.बी. रोड (निटको टाईल्स मार्बल शॉप) से संयोग सीड एम.आर. कम्पाउण्ड लसुडिया गली नं. 01 तक रोड का सीमेन्ट कांकीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र.19 दि.09.08.17 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान की राय क्र. 39 दि. 16.08.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 2,87,72,000/-के कार्य की दिनांक 08.05.2017 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स आर.एस. कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 2.22 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 6,38,738/- सहित कुल आकार राशि रूपये 2,94,10,738/- तथा वास्तुविद सेवाएँ फर्म मेसर्स एस.एन.एस. एसोसिएट्स वास्तुविद शुल्क 3.60 प्रतिशत की दर राशि रूपये 10,35,792/- सहित कुल राशि रूपये 3,04,46,530/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 42 दिनांक 10.10.2017

झोन क्रमांक 08 वार्ड 35 ए.बी. रोड स्थित मित्तल तोल कांटे से मेहता वेयर हाउस एस. आर. कम्पाउण्डवाल लसुडिया गली नं. 2 का सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 18 दिनांक 09.08.2017 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान की राय क्रमांक 40 दिनांक 16.08.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 2,87,72,000/- के कार्य की दिनांक 22.05.017 को प्राप्त एक निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स जी.डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 1.98 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 6,07,404/- सहित कुल आकार राशि रुपये 3,12,84,404/- तथा वास्तुविद सेवाएं फर्म मेसर्स एस.एन.एस. एसोसिएट्स वास्तुविद शुल्क 3.60 प्रतिशत की दर राशि रुपये 11,04,372/- सहित कुल राशि रुपये 3,23,88,777/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 43 दिनांक 10.10.2017

पश्चिमी रिंगरोड मॉ नर्मदा चौराहे से रेती मण्डी तक मार्ग पर सेन्ट्रल डिवाइडर का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 25 दिनांक 14.09.2017 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 45 दिनांक 19.9.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रू. 3,93,70,000/- तथा वास्तुविदीय परामर्श शुल्क राशि रुपये 14,17,400/- की तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 44 दिनांक 10.10.2017

पश्चिमी रिंगरोड गौपुर चौराहे से माँ नर्मदा चौराहे तक मार्ग पर सेन्ट्रल डिवाइडर का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 26 दिनांक 14.09.2017 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 44 दिनांक 19.9.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 4,28,18,000/- तथा वास्तुविदीय परामर्श शुल्क राशि रुपये 15,41,500/- की तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 45 दिनांक 10.10.2017

दशहरा मैदान का विकास करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 24/सीई/बिल्स/17-18 दिनांक 22.08.17 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान की राय दिनांक 28.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 9,45,32,000/-के कार्य की दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स श्यामा डेव्हलपर्स द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 4.16 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 39,32,531/- सहित कुल आकार राशि रूपये 9,84,64,531,- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 46 दिनांक 10.10.2017

गांधी हॉल भवन परिसर का सम्पूर्ण विकास करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 22/सीई/बिल्स/17-18 दिनांक 22.08.17 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान की राय दिनांक 28.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 8,99,00,000/-के कार्य की दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स अवि इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 3.24 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 29,12,760/- सहित कुल आकार राशि रूपये 9,28,12,760/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 47 दिनांक 10.10.2017

झोन क्रमांक 18 वार्ड 51 मुसाखेडी (ज्योतिबा फुले प्रतिमा) रिंगरोड से तीन ईमली तक दोनों तरफ सर्विस रोड निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 06 दिनांक 09.05.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 2,51,51,000/- प्राप्त 01 निविदा में निविदा समिति की अनुशंसानुसार मेसर्स सोनी सलुजा एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 1.13 प्रतिशत प्रतिशत कम की राशि रुपये 2,48,206/- अनुसार आकार राशि रुपये 2,48,66,794/- पर कार्य कराने की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं वास्तुविद सेवाएँ फर्म एस.एन.एस. एसोसिएट्स से शुल्क राशि रुपये 8,95,205/- सहित कुल राशि रुपये 2,57,61,999/- की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 48 दिनांक 10.10.2017

नेहरुपार्क के विकास के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 28 दिनांक 04.10.2017 प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 55 दिनांक 07.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 8,23,00,000/- के कार्य की दिनांक 04.09.2017 को प्राप्त 02 निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स रॉयल इन्फ्रा पॉवर कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 3.25 प्रतिशत कम की राशि रुपये 26,74,750/- रहित कुल आकार राशि रुपये 7,96,25,250/- तथा वास्तुविद सेवाएँ फर्म मेसर्स नाईन स्केवर वास्तुविद शुल्क राशि रुपये 28,66,509/- सहित कुल राशि रुपये 8,24,91,759/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 49 दिनांक 10.10.2017

फुटीकोठी से गौपुर चौराहा तक के मार्ग का सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04.10.2017 प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 53 दिनांक 07.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 3,00,00,000/- के कार्य की दिनांक 19.09.2017 को प्राप्त 03 निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स श्री जया पाण्डे द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 6.11 प्रतिशत कम की राशि रुपये 18,33,000/- रहित कुल आकार राशि रुपये 2,81,67,000/- तथा वास्तुविद सेवाएँ फर्म श्री अतुल त्रिवेदी वास्तुविद शुल्क राशि रुपये 10,14,012/- सहित कुल राशि रुपये 2,91,81,012/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 50 दिनांक 10-10-2017

ब्रम्हलीन श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ मार्ग,महूनाका से फूटी कोठी चौराहा तक मार्ग के पुनर्नियोजन तथा सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 29/सीई/बिल्स/17-18 दिनांक 04.10.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 4,60,06,769/- पर दिनांक 19.09.2017 को प्राप्त निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स स्वास्तिक हाउसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 8.80 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 40,48,596/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 5,00,55,365/- तथा वास्तुविद सेवाएँ फर्म श्री अतुल त्रिवेदी वास्तुविद शुल्क राशि रूपये 18,01,993/- सहित कुल राशि रूपये 5,18,57,358/- के कार्य की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 51 दिनांक 10.10.2017

रणजीत हनुमान मार्ग स्थित विश्रामबाग की भूमि पर स्वीमिंग पूल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 21/सीई/बिल्स/17-18 दिनांक 22.08.17 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान की राय दिनांक 28.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 9,45,50,000/-के कार्य की दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स सुप्रिम बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 4.00 प्रतिशत कम की राशि रूपये 37,82,000/- अनुसार कुल आकार राशि रूपये 9,07,68,000/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 52 दिनांक 10.10.2017

झोन क्रमांक 11 के अन्तर्गत बी.आर.टी.एस. स्थित शिवाजी वाटिका के पास सड़क चौडीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 20/सीई/बिल्स/17-18 दिनांक 22.08.17 पर प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान की राय दिनांक 28.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 1,79,50,797/- के कार्य की दिनांक 25.05.17 को प्राप्त एक निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स न्यू सरस्वती कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 12.80 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 22,97,702/- सहित कुल आकार राशि रुपये 2,02,48,499/- तथा वास्तुविद सेवाएं फर्म मेसर्स अवनीश सिंह एण्ड एसोसिएट्स वास्तुविद शुल्क राशि रुपये 7,28,946/- सहित कुल राशि रुपये 2,09,77,445/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 53 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर शहर के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में 42000 नग एलईडी फिटिंग्स पीपीपी मॉडल पर लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 4095 दिनांक 09.10.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के विभिन्न वार्डों में नवीन तकनकी की 42000 नग एल.ई.डी. फिटिंग पी.पी.पी. मॉडल पर द्वितीयबार दिनांक 29.08.2017 को प्राप्त 02 निविदाओं निविदा समिति कि अनुशंसा अनुसार मेसर्स मोस्चीफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलाजी लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत आफर रेट राशि रूपये 9,33,65,863/- प्रतिवर्ष मय 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि के सात वर्ष तक एल.ई.डी. फिटिंग स्थापना, मय संचालन संधारण सहित निविदा दर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 54 दिनांक 10-10-2017

स्वास्थ्य विभाग के सफाई संरक्षकों (पुरुष एवं महिला) हेतु रेनकोट क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 102 दिनांक 16.06.017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग के सफाई संरक्षकों पुरुष एवं महिलाओं के लिए कुल-6500 नग रेनकोट क्रय करने की जारी की गई अल्प निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 55 दिनांक 10-10-2017

स्वास्थ्य विभाग के सफाई संरक्षकों पुरुष एवं महिलाओं हेतु वर्दी (पेंट, शर्ट, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउट सिलाई सहित एवं जूते मोजे, मास्क, हेंड ग्लोब्स) क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 232 दिनांक 20.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सफाई संरक्षकों, पुरुष एवं महिलाओं हेतु, ग्रुप क्रमांक 1, 4 एवं 5 में उल्लेखित झोनों की वर्दी क्रय करने की जारी की गई अल्प निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 56 दिनांक 10.10.2017

अस्थाई प्रकाश व्यवस्था हेतु हेलोजन, निवाड एवं स्टार लाईट लगाने संबंधी कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रत्र 1951 दिनांक 13.07.17 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 542 दिनांक 03.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक दर निर्धारण वर्ष 2017-18 हेतु दिनांक 10.04.2017 को प्राप्त 07 निविदाओं निविदा समिति की अनुशंसा निविदादरदाता मेसर्स मूर्ति रेडियों एण्ड इलेक्ट्रिक सर्विस द्वारा न्यूनतम दर 3 प्रतिशत अधिक की वार्षिक दर निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है। टेण्डर शर्तों अनुसार आवश्यकता होने पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्मों से भी यदि वह सहमत हो तो स्वीकृत न्यूनतम दर 3 प्रतिशत अधिक पर कार्य कराया जावे।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 57 दिनांक 10.10.2017

नगर पालिक निगम, इन्दौर के पेंशनरों को 04 प्रतिशत महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 2575 दि. 21.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 9-6/2017/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 27/06/2017 के द्वारा समस्त पेंशनरों को 01 जनवरी 2017 से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की दर (04 प्रतिशत वृद्धित) से महंगाई भत्ता राहत का लाभ दिये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 58 दिनांक 10.10.2017

मालवा उत्सव के आयोजन में सहयोग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 869 दिनांक 10.10.2017 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में इन्दौर शहर में प्रतिवर्षानुसार होने वाले लोक संस्कृति मंच द्वारा प्रतिष्ठित समारोह मालवा उत्सव 2016 एवं 2017 के आयोजन हेतु अनुदान राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरी रूपये- पांच लाख मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "लोक संस्कृति मालवा उत्सव हेतु व्यय" में से होगा। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाइट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 59 दिनांक 10.10.2017

ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु प्रसंस्करण स्थापित कर खाद निर्मित करने पर समेकित कर में छूट प्रदाय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 3209 दिनांक 12.09.2017 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 250 दिनांक 29.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नगर पालिक निगम परिषद प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 13.06.2017 एवं महापौर की घोषणा के क्रम में होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, शॉपिंग माल, शैक्षणिक संस्थान कवर्ड टाउनशिप/कालोनी एवं अन्य इसी प्रकार के संस्थानों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट जिसकी मात्रा 100 कि.ग्रा. प्रतिदिन से अधिक हो, के निस्तारण हेतु प्रसंस्करण स्थापित कर खाद निर्मित करने पर संबंधित संस्थान को देय समेकित कर में प्रसंस्करण स्थापित करने के वर्ष से आगामी पांच वर्ष तक 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

3. अपशिष्ट निस्तारण हेतु प्रसंस्करण स्थापना कर खाद निर्मित करने की प्रक्रिया का प्रमाणिकरण संबंधित झोन क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी/झोनल अधिकारी एवं सी.एस.आई. द्वारा करने के उपरान्त ही उक्त छूट का लाभ दिया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 60 दिनांक 10.10.2017

मोबाईल टायलेट के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1887 दिनांक 28.09.17 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 12 दिनांक 10.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निगम स्वामित्व के 17 चलित शौचालय का उपयोग शहर की शौचालय विहिन अस्थाई पुरानी बस्तियों, गंदी बस्तियों व सरकारी कार्यक्रमों आदि में ओ.डी.एफ. न हो इस हेतु रखा जाता है, साथ ही चलित शौचालयों की निजी मांग पर उलब्धता के आधार पर नियत स्थान पर पहुँचाने के लिए ट्रेक्टर, ड्रायवर, डीजल, पानी टैंकर एवं सैप्टिक टैंक में खाली करना साफ-सफाई इत्यादि पर प्रतिदिन राशि रूपये 1500/- का व्यय संभावित होता है। चलित शौचालय की व्यवस्थापन पर होने वाले खर्च को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्धता के आधार पर निजी आयोजनों में चलित शौचालय उपलब्ध कराने पर प्रथम दिवस राशि रूपये 1500/- व इसके पश्चात राशि रूपये 750/- प्रतिदिन के मान से आयोजनकर्ता से आवेदन के साथ राशि निगम खजाने में जमा कराये जाने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है।

3. चलित शौचालय प्राथमिकता से बस्ती व शासकीय कार्य में लगावें जावे, इसके बाद उलब्धता के आधार पर निजी आयोजनों में लगाये जावें।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 61 दिनांक 10-10-2017

श्री गणेशोत्सव समारोह हेतु निगम अनुदान स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 650 दिनांक 22.08.17 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 655 दिनांक 24.08.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा अनुसार प्राचीन परम्परा अनुसार निगम परिसर में श्री गणेश जी स्थापना एवं गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व मनोहरी, नयनाभिराम झांकियों के निर्माण व अनंत चतुदर्शी चल समारोह व्यवस्था हेतु श्री गणेश उत्सव समिति नगर पालिक निगम, इन्दौर को राशि रूपये 20.00 लाख राशि रूपय का अनुदान देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-काउंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 62 दिनांक 10.10.2017

झोन क्रमांक 05 वार्ड 21, 22 के अन्तर्गत विभिन्न कालोनियों की सेकेण्डरी लाईनों को प्रायमरी लाईनों से जोड़ने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2826 दिनांक 04.09.2017 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 10 दिनांक 08.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 4,22,42,978/- के कार्य हेतु प्राप्त 03 निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स सुमंत राजसिंह बघेल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रुपये 4,59,06,660/- की निविदादर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 63 दिनांक 10.10.2017

वार्ड क्रमांक 10 बाणगंगा के अन्तर्गत बदल का भट्टा में पुल का डिजाईन एवं निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 236/योजना/17-18 दिनांक 22.06.2017 प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 47 दिनांक 28.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 2,34,70,000/-के कार्य की ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार ठेकेदार फर्म मेसर्स अचल एसोसिएट्स, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 46.85 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 1,09,95,695/- सहित कुल आकार राशि रूपये 3,44,65,695/-की निविदादर, प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "पुल-पुलिया का निर्माण" में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काँसिल संकल्प क्रमांक 64 दिनांक 10.10.2017

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृत राशि रुपये 40 करोड़ से शहर की सड़कों के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 372 दिनांक 28.9.2017 प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 50 दिनांक 07.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत एप्रोच रोड़ लिंक रोड़ निर्माण पैकेज-3 एवं पैकेज-4 को सम्मिलित कर तैयार की गई सड़कों के निर्माण की डीपीआर शासन को भेजने एवं शहर की प्रमुख सड़कों एप्रोच रोड़ लिंक रोड़ निर्माण पैकेज-3 एवं पैकेज-4 में किये जाने वाले कार्यों में व्यय राशि का समायोजन मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (द्वितीय चरण) में किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय आवंटित राशि रुपये 40.00 करोड़ तथा शेष राशि का व्यय निगम मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काँसिल संकल्प क्रमांक 65 दिनांक 10.10.2017

झोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 84 अन्तर्गत आने वाली न्यू द्वारकापुरी कालोनी में स्थित निगम स्वामित्व का सार्वजनिक उद्यान का नामकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 732 दिनांक 03.10.2017 प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय क्रमांक 51 दिनांक 07.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में द्वारकापुरी कॉलोनी स्थित सार्वजनिक उद्यान का नामकरण बंजारा समाज के धर्मगुरु "संत श्री सेवालालजी महाराज" के नाम से किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 66 दिनांक 10.10.2017

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका डब्ल्यू पी. क्र. 1065/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 एवं जनहित याचिका डब्ल्यू पी. क्र. 3931/2017 अनुसार वार्ड समितियों के गठन करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 48/न.नि./2017 इन्दौर, दिनांक 21.08.2017 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान विभाग की राय दिनांक 20.09.2017 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 20.03.2015 एवं नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 17.07.2015 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका डब्ल्यू पी. क्र. 1065/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 एवं जनहित याचिका डब्ल्यू पी. क्र. 3931/2017 अनुसार वार्ड समितियों के गठन करने के क्रम में निगम के 85 वार्डों की कुल जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार 21,95,274 होने से नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धरा 48 के अनुसार एक लाख की आबादी के आधार पर निम्नानुसार 22 वार्ड समिति (झोनल कार्यालयों) पुर्नगठित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

>ku Ø-	okM. lfefr %>kuy dk; ky; % dk uke	lfefyr okM. Øekd
1	डॉ.हेडगेवार (किला मैदान) झोन	4, 7, 9 व 16
2	लालबहादुर शास्त्री (राजमोहल्ला)झोन	67, 68, 69 व 70
3	शहीदभगतसिंह (नगर निगम)झोन	56, 57, व 58
4	महाराणाप्रताप (संगम नगर)झोन	10, 11, 12, 13 व 17
5	चन्द्रगुप्तमौर्य (सुखलिया)झोन	21, 22, 28 व 33
6	सुभाषचन्द्रबोस (सुभाष नगर)झोन	23, 24, 25, 26
7	अटलबिहारीवाजपेयी (स्कीम नं. 54)झोन	27, 29, 32 व 34
8	चन्द्रशेखरआजाद (विजय नगर)झोन	30, 31, 35, 36 व 37
9	डॉ.भीमरावअम्बेडकर (पंचम की फेल)झोन	44, 45, 46 व 47
10	डॉ. श्यामाप्रसादमुखर्जी (साकेत नगर)झोन	38, 39, 40, 42, व 43
11	राजमातासिधिया (स्टेडियम)झोन	48, 49, 54, 55 व 60
12	हरसिद्धी झोन	59, 61, 62, 65 व 66
13	पं. दीनदयालउपाध्याय (बिलावली)झोन	73, 74, 64,
14	राजेन्द्र धारकर (हवा बंगला)झोन	79, 82, 84, व 85
15	लक्ष्मणसिंहगौड़ (दृविड़ नगर)झोन	2, 71, व 83
16	कुशाभाऊठाकरे(एरोडम रोड़)झोन	1, 3, 14 व 15
17	महात्मागांधी (नरवल) झोन	18, 19, 20
18	छत्रपतिशिवाजी (कृषि विहार) झोन	51, 52, 53, 63
19	सरदारबल्लभभाईपटेल (स्कीम नं. 94) झोन	41, 50, 76
20	नवीन झोन	5, 6, 8
21	नवीन झोन	72, 80, 81
22	नवीन झोन	75, 77, 78

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद में रखाजावें।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 67 दिनांक 10.10.2017

श्री किशोर सिंह सोलंकी, सहायक यंत्री को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2137 दिनांक 24.08.2017 पर प्रभारी, सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 682 दिनांक 11.9.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में श्री किशोर सिंह सोलंकी, सहायक यंत्री को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 68 दिनांक 10-10-2017

इन्दौर नगर निगम द्वारा अन्य संस्थाओं की भांति वाल्मिकी समाज के धार्मिक संस्कृति उत्सव के लिये यूनियनों को उत्सव मनाने के लिये अनुदान देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 232 दिनांक 21.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2017 कार्यक्रम जैसे वीर गोगादेव समारोह एवं महर्षि वाल्मिकी उत्सव समारोह तथा श्री संत सिरामणी नवल स्वामी जयन्ती के समारोह हेतु प्रत्येक संस्था को राशि रूपये 2-2 लाख का अनुदान (प्रत्येक संस्था को अक्षरी राशि रूपये - दो लाख मात्र) निम्नांकित पंजीकृत संस्थाओं को देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

- (1) इन्दौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ, इन्दौर
- (2) म.प्र. सफाई कर्मचारी महासंघ नगर निगम, इन्दौर
- (3) राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा, इन्दौर
- (4) सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन, इन्दौर
- (5) निगम कर्मचारी कामगार संघ , इन्दौर
- (6) वाल्मिकी संघ, इन्दौर

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 69 दिनांक 10.10.2017

श्री अहिल्या उत्सव समिति को प्रतिवर्ष मिलने वाला आर्थिक अनुदान प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 638 दिनांक 18.08.2017 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन की राय क्रमांक 683 दिनांक 11.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 20.08.2017 को माँ देवी अहिल्या की पुण्य स्मृति समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए श्री अहिल्या उत्सव समिति को राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरी रूपये- पांच लाख मात्र ) का अनुदान बजट मद "अहिल्या पुरस्कार में निगम अंशदान " /अन्य मद में से देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। दिये जाने वाला अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 70 दिनांक 10.10.2017

नगरीय क्षेत्रों के व्यवसायिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित कराई जाने हेतु मेयर इन काउंसिल की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 552 दि. 06.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों में स्थित निम्नांकित व्यावसायिक क्षेत्रों के (कॉलम 4 में उल्लेखित) झोन/वार्डवार अधिसूचित करने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है :-

>ku dek d	>ku dk uke	okM. dek d	0; o l f; d l l F k k u {k= dk uke
1	2	3	4
1	डॉ. हेडगेवार (किला मैदान) झोन	4	एयरपोर्ट रोड, पटेल नगर से अंकित होटल चौराह एवं सुखदेव नगर चौराह तक, सुखदेव नगर मेन रोड 60 फीट रोड, सुखदेव नगर से रतनबाग कॉलोनी तक
		7	सुभाष मार्ग जिन्सी चौराहे से जूनारिसाला पुलिस चौकी तक
		8	गौराकुण्ड चौराह से अहिल्यापुरा मल्हारगंज टोरी कॉर्नर से गौराकुण्ड, खजुरी बाजार, सम्पूर्ण, जिन्सी मेन रोड
		9	वृन्दावन चौराह मेन रोड से कमला नेहरू कालोनी तक, मरीमाता चौराहे से 15 वी बटालियन तक
2	लालबहादुर शास्त्री (राजमोहल्ला झोन )	6	धान मण्डी से कैलाश मार्ग से एम.जी.रोड से मल्हारगंज गली न. 1
		68	बाम्बे बाजार मुख्य बाजार नरसिंह बाजार रोड (दरगाह चौराहे वाली) मालगंज चौराहे से पिपली बाजार
		69	सांठा बाजार से बजाज खाना चौक से मारोटिया बाजार से बौहरा बाजार नलिया बाखल से नवीनचित्र से क्लॉथ मार्केट संपूर्ण छोटा सराफा, बड़ा सराफा, शक्कर बाजार (जैन मंदिर तरफ), शक्कर बाजार (सीतलामाता तरफ), नर्सिंग बाजार से सीतला माता मंदिर तक (गौराकुण्ड), बर्तन बाजार, कैलामाता मंदिर चौराहे से तिरुपति होटल तक, पीपली बाजार, धान गली मोर्सली
2,15,16	राजमोहल्ला झोन, द्रविड़ नगर झोन, ऐरोड्रम झोन	70,5,2	गंगवाल बस स्टेण्ड से धार रोड चंदन नगर चौराहा
3	शहीद भगत सिंह (नगर निगम ) झोन	56	मालवा मिल चौराहे से विश्रांति चौराहे तक नयापुरा मेनरोड नयापुरा से जेलरोड तक
		57	एम.जी.रोड किशनपुरा (राजबाड़ा) से गांधी हॉल तक जेलरोड एम.जी.रोड से नूतन स्कूल डी.आर.पी. लाईन के चौराहे तक जेलरोड गली नं. 1,2,3 एवं सुतार गली, हेमिल्टन रोड शिवाजी मार्केट एम.जी.रोड थाने से शांतिपथ मछली बाजार तक तिलक पथ किशनपुरा से रामबाग तक इमली बाजार रोड राजबाड़ा से इमली बाजार चौराहे तक एम.टी.एच. कम्पाउण्ड शास्त्री ब्रिज से कोठारी मार्केट तक लोधी मोहल्ला एवं न्यू सियागंज इमली बाजार चौराहे से चिमनबाग तक सुभाष मार्ग
		58	बड़वाली चौकी से सुभाष मार्ग चौराहे तक दोनों तरफ खजुरी बाजार यशोदामाता मंदिर से विजय चाट हाउस तक
4	महाराणा प्रताप (संगम नगर ) झोन	10	मरीमाता चौराहे से बाणगंगा तक
		12	कुशवाह नगर

अविस्त .....2

5	चंद्रगुप्त मौर्य (सुखलिया ) झोन	21	चंद्रगुप्त चौराहे से हनुमान मंदिर तक एम. आर. 9 मेन रोड़ से मंगल नगर तक
		22	बापट चौराहे से मारुति नगर चौराहे तक दोनों तरफ हीरा नगर थाने के आसपास संपूर्ण चौराहा दोनों तरफ
		28	अनुप टॉकिज से भमोरी मेन रोड़ से हनुमान मंदिर तक मेघदूत गार्डन सर्विस रोड़ चाट चौपाटी
6	सुभाष चंद्र बोस (सुभाष नगर) झोन	24	पाटनी पुरा चौराहा से बैरवा समाज धर्मशाला से अटल द्वार से अमर टेकरी तक पाटनी पुरा चौराहा से मालवा मिल पुल तक
		25	पाटनी पुरा चौराहे से नंदानगर मेनरोड़ होते हुए तीन पुलिया चौराहे तक
		26	सर्वहारा नगर रोड़ नं. 6 से सुभाष नगर चौराहा तक
		27	पाटनीपुरा चौराहा से अनुप टॉकिज चौराहे तक
7	अटल बिहारी वाजपेयी (स्कीम नं. 54) झोन	29	सत्यसॉई चौराहा से शर्मा स्वीट्स, स्कीम नं. 54 मेनरोड़ एम. आर. 10 चौराहे से पंचायत तक, स्कीम नं. 54 झोन के सामने मेनरोड़ केनरा बैंक से राजश्री अपोलो हॉस्पिटल तक पंचामृत से राजश्री अपोलो तक एम.आर. 10 से पंचामृत तक शर्मा स्वीट्स से सत्य सॉई से गोल्डन गेट
		31	सत्य सॉई से इनफिनिटी होटल तक
		37	बॉम्बे हॉस्पिटल से तुलसी नगर पुलिया तक
		35	देवास नाका निरंजनपुर चौराहे से पंचवटी तक
9	भीमराव अंबेडकर (पंचम की फेल)झोन	44, 45, 26	पाटनीपुरा चौराहे से एल.आई.जी. चौराहे तक
		46	मुमताज सेठ की दुकान से मालवा मिल पुल तक दोनों तरफ पंचम की फेल मेनरोड़ नगर निगम मार्केट
		47	56 दुकान से जंजीरवाला चौराहे तक जंजीरवाला चौराहे से एम.जी.रोड़
10	डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी (साकेत नगर) झोन	38	जंजीरवाला चौराहे से इंडस्ट्रीयल हाउस तक पलासिया से साकेत नगर चौराहा से आनंद बाजार से बीमा नगर चंद्रलोक चौराहा रंगोली पॉईंट से युरेका हॉस्पिटल वाईन शॉप से पत्रकार चौराहा ताल की दुकान से दरगाह गेट तक पानी की टंकी से खजराना दरगाह तक
		39	कालका माता मंदिर से जमजम चौराहा व खजराना दरगाह तक
		40	खजराना से कालका माता मंदिर खजराना चौराहे से रैनबसेरा सोफावाली दुकान तक
		42	साकेत चौराहे से पत्रकार चौराहा, कनाड़िया रोड़ से बंगाली चौराहे तक खजराना से चंद्रलोक चौराहे तक
		48	पलासिया से सुयश हॉस्पिटल ए.बी. रोड़ मनोरमा गंज, नवरतन बाग मेनरोड़ गीताभवन मेनरोड़
		49	तिलक नगर मेनरोड़ संविदा नगर सब्जी मण्डी
11	राजमाता सिंधिया (स्टेडियम ) झोन	55	मधुमिलन चौराहा एम.वाय. रोड़ आर.एन.टी. मार्ग गीताभवन चौराहा रीगल चौराहा
		60	रानीपुरा मेनरोड़ कोठारी मार्केट, छोगालाल मार्ग महारानी रोड़ सियागंज मेनरोड़ जवाहर मार्ग प्रेमसुख से पटेल ब्रिज
		59	राजबाड़ा ओ सर्कल पी.वाय. रोड़ नंदलालपुरा सब्जी मण्डी गोपाल मंदिर से राजबाड़ा खजूरी बाजार चौराहे से कृष्णपुरा पुल कृष्णपुरा पुल से छत्री नंदलालपुरा राजबाड़ा एम.जी.रोड़ पोस्ट आफिस मेनरोड़ जवाहर मार्ग रामलक्ष्मण बाजार तक
		61	सोनकर धर्मशाला से जैन मिठाई तक एक साईड सोनकर धर्मशाला से रावजी बाजार थाना
12	हरसिद्धी झोन	65	टॉवर चौराहे से भंवरकुआ ब्रिज सिंधी कॉलोनी संपूर्ण
		66	पलसीकर चौराहे से माणिकबाग ब्रिज तक दोनों तरफ
		65	टॉवर चौराहे से भंवरकुआ ब्रिज सिंधी कॉलोनी संपूर्ण
		66	पलसीकर चौराहे से माणिकबाग ब्रिज तक दोनों तरफ

अविरत .....3

13	पं.दीनदयाल	74	टॉवर चौराहा से भंवरकुआ, भोलाराम उस्ताद मार्ग
----	------------	----	--

	उपाध्याय (बिलावली ) झोन	80	राजेन्द्र नगर रेल्वे स्टेशन मेनरोड
		81	अन्नपूर्णा से चाणक्यपुरी मेनरोड
14	राजेन्द्र धारकर (हवाबंगला ) झोन	79, 82, 84	फुटी कोठी चौराहे से हवा बंगला झोन सुपर मार्केट
15	लक्ष्मणसिंह गौड़ (द्रविड़ नगर) झोन	71,83	महुँनाका से रणजीत हनुमान से फुटी कोठी चौराहे तक दोनों तरफ
		71	महुँनाका से अन्नपूर्णा तक दोनों तरफ श्रीजी भोजनालय एम. ओ. जी. लाईन मेनरोड से स्वास्तिक मेडिकल स्टोर क्लोथ मार्केट हॉस्पिटल तक
		83	हनुमान मंदिर सुदामा नगर अन्नपूर्णा मंदिर के सामने से चाट चौपाटी सुदामा नगर मेनरोड तक
16	कुशाभाउ ठाकरे (ऐरोडूम) झोन	1 3	चंदन नगर चौराहे से सिरपुर तालाब तक कालानी नगर मेनरोड से बी.एस.एफ. पानी की टंकी तक कालानी नगर पुलिया से नगीन नगर पुरानी कलाली तक
17	महात्मा गांधी (नरवल) झोन	18,19	उज्जैन नाका से दीपमाला ढाबा तक दोनों तरफ
		20	सुखलिया ग्राम गौरी नगर से आई.टी.आई. चौराहे तक
		23	परदेशी पुरा चौराहे से क्लर्क कॉलोनी चौराहे तक
18	छत्रपति शिवाजी (कृषि विहार) झोन	51	मुसाखेड़ी चौराहा, मुसाखेड़ी मेनरोड नेमावर रोड
		53	आजाद नगर गोल चौराहे से मदीना नगर मेनरोड
		63	जगन्नाथ पुल से अग्रसेन चौराहा से सपना संगीता रोड टॉवर चौराहा तक, नवलखा चौराहे से अग्रसेन चौराहे तक
		64	नवलखा से नेमावर रोड प्रकाश नगर संवाद नगर कौशल्यापुरी तीन इमली चौराहे से पालदा नाके तक
19	सरदार वल्लभ भाई पटेल (स्कीम नं. 94) झोन	41	बंगाली चौराहे से माधवराव सिंधिया चौराहा से कनाड़िया मेनरोड
		50	पिपलियाहाना चौराहा से निर्मल नगर, दीपक नगर पापा बेकरी से चौहान नगर

इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 71 दिनांक 10-10-2017

ड्यूटी के दौरान घायल मस्टर श्रमिक को इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 05.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में कोदवाडा विभाग दल क्रमांक 01 में कार्यरत मस्टर श्रमिक श्री मनोज पिता कैलाश वर्मा की दिनांक 14.12.2016 को ड्यूटी के दौरान आवारा पशुओं को पकड़ने पर ट्राले से ट्रक में शिफ्ट करने के दौरान श्री मनोज वर्मा के ट्राले पर से गिरने के कारण घायल होने कारण तथा उक्त कर्मचारी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होने को दृष्टिगत रखते हुए राशि रुपये 25,000/- (अक्षरी राशि रुपये- पच्चीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 72 दिनांक 10-10-2017

आजाद नगर स्थित नवनिर्मित कम्युनिटी हॉल का किराया निर्धारण कर नागरिकों को उपलब्ध करवाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 610 दिनांक 19.08.2017 एवं प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 684 दिनांक 11.09.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में आजाद नगर स्थित नवनिर्मित कम्युनिटी हॉल का किराया राशि रुपये 4,000/- (अक्षरी रुपये- चार हजार मात्र) प्रतिदिन एवं विद्युत शुल्क अतिरिक्त निर्धारित करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 73 दिनांक 10-10-2017

नगरीय क्षेत्र के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में स्वच्छता कमिटियों के गठन एवं होटल, रेस्टोरेन्ट, मैरिज गार्डन, अस्पताल, रहवासी संघों एवं व्यापारिकों प्रतिष्ठानों में OWC (Organic Waste Converter) स्थापित कराने हेतु NGO's की नियुक्ति हेतु अल्प कालीन निविदा आमंत्रण के अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 529 दिनांक 03.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु बुलाई गई अल्प निविदा की पुष्टि सर्वसम्मति से की जाती है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 74 दिनांक 10-10-2017

जैविक कचरे से बनाई जाने वाली खाद ( कम्पोस्ट ) के किसानों को विक्रय हेतु बनाई गई नीति की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 583/एसबीएम/17-18 दिनांक 09.10.017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जैविक कचरे से बनाई जाने वाली खाद (कम्पोस्ट) किसानों को विक्रय हेतु बनाई गई निम्नानंकित नीति का अनुमोदन/स्वीकृति एवं समस्त कार्यवाही अल्पकालीन निविदा के माध्यम से करने तथा उपरोक्त कार्य पर होने वाले व्यय एवं कार्य योजना को अंतिम रूप देने हेतु आयुक्त को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है :-

- कचरे से उत्पादित खाद के उपयोग तथा लाभ के प्रचार-प्रसार हेतु मध्यप्रदेश शासन की संस्था जन अभियान परिषद का उपयोग किया जावे। जन अभियान परिषद शासकीय संस्था होकर इसकी पहुंच हर ग्राम स्तर तक है तथा प्रोजेक्ट ऑफिसर जन अभियान परिषद द्वारा उक्त खाद की प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर तक करने की सहमति दी गई है। प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा एक विस्तृत ब्रोशर बनाया जावे, जिसमें इस खाद के उपयोग तथा लाभ एवं इस खाद की गुणवत्ता की टेस्ट रिपोर्ट भी दी जावे। नगर निगम द्वारा उक्त खाद की टेस्टिंग सर्टिफाईड लेब द्वारा कराई जावे।
- उक्त खाद के विक्रय हेतु निविदा आमंत्रित कर गैर शासकीय संस्थाएँ (एन.जी.ओ.स) को एम्पेनल किया जावे। उक्त संस्थाओं को प्रत्येक ब्लॉक के क्षेत्र आवंटित किये जावे। संस्थाओं को प्रतिकिलो किसानों को विक्रय की गई खाद के आधार पर निविदा में क्रय दर के अनुसार भुगतान किया जावे। किसानों को यह खाद 3 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराई जावे।
- नगर निगम के देवगुराडिया प्रसंस्करण प्लान्ट से ब्लॉक/सेक्टर मुख्यालय तक खाद पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगम इन्दौर की रहेगी तथा इसे बैग में भरकर पहुंचाया जायेगा। उक्त पाईट से किसानों के विक्रय करने की समस्त जवाबदारी संबंधित एन.जी.ओ. की रहेगी। विक्रय से प्राप्त होने वाली समस्त राशि प्रमाण सहित नगर निगम इन्दौर को जमा करना होगा तथा नगर निगम द्वारा पृथक से संबंधित एन.जी.ओ. को विक्रय के आधार पर भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कृषक देवगुराडिया स्थित प्रसंस्करण प्लान्ट से स्वयं ट्रेक्टर-ट्रॉली लाकर खाद प्राप्त करने का इच्छुक है तो यह खाद 2 रुपये प्रतिकिलो के मान से उपलब्ध कराई जावे।

अविरत.....

(2)

- उक्त एन.जी.ओ. का यह भी कार्य होगा कि, वे प्रत्येक सेक्टर स्तर पर किसानों के समूहों (लगभग 300) के साथ 10 बैठक आयोजित करें तथा उन्हें खाद के संबंध में समुचित जानकारी प्रदान की जाएं। उक्त बैठक आयोजित में टेन्ट, बैनर, टेबल, कुर्सी, माईक, स्वल्पाहार एवं प्रचार सामग्री का व्यय नगर निगम इन्दौर द्वारा किया जावेगा। उक्त सभी बैठकों की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी तथा बैठक की प्रोसेडिंग की जवाबदारी संबंधित एन.जी.ओ. की रहेगी। इसके लिए कैमरा मैन तथा विडियोग्राफर नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 75 दिनांक 10-10-2017

“प्रणाम इंदौर” कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक आपदा में घायल हुए कर्मचारी एवं नागरिकों का कराये गये ईलाज के देयक स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 28.08.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में 5 जून 2017 को दशहरा मैदान में इन्दौर शहर के स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में देश में प्रथम आने के उपलक्ष्य में मान. लोकसभा अध्यक्ष मान. मुख्यमंत्रीजी, मान. केन्द्रीय मंत्री व अन्य अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित” प्रणाम इन्दौर “ कार्यक्रम के दौरान शाम को अचानक आई आंधी तुफान वर्षा व प्राकृतिक आपदा के कारण कार्यक्रम हेतु बनाये गये डोम के गिरने से घायल हुए 52 नागरिक तथा कर्मचारियों का (संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार) तत्काल कराये गये उपचार के देयक राशि रुपये 09,36,730/- के भुगतान करने की स्वीकृति सर्वसम्मति दी जाती है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 76 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर शहर में मुख्य मार्गों/सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं 30 वर्षों तक संचालन एवं संधारण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2240 दिनांक 25.07.2017 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्र. 09 दिनांक 28.07.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में इन्दौर शहर में स्लम बस्तियों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं 30 वर्षों तक संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 5,09,68,525/- की दिनांक 24.06.17 को प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता फर्म सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन, भोपाल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम भाव दर 20 प्रतिशत अधिक सहित कुल राशि रुपये 6,11,62,230/-के कार्य की निविदा दर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "सार्वजनिक टायलेट काम्पलेक्स का निर्माण शासन का प्राप्त अनुदान एवं निगम अंशदान" में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 77 दिनांक 10.10.2017

इन्दौर शहर में स्लम बस्तियों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं 30 वर्षों तक संचालन एवं संधारण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2241 दिनांक 25.07.2017 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 08 दिनांक 28.07.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में इन्दौर शहर में स्लम बस्तियों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं 30 वर्षों तक संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 4,14,35,050/- की प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता फर्म सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, भोपाल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 20 प्रतिशत अधिक सहित कुल राशि रुपये 4,97,22,060/-के कार्य की निविदा दर, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "सार्वजनिक टायलेट काम्पलेक्स का निर्माण शासन का प्राप्त अनुदान एवं निगम अंशदान" में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 78 दिनांक 10.10.2017

प्राणी संग्रहालय में फूड जोन स्थापना, संधारण, संचालन (जन निजी भागीदारी) कार्य की निविदा दर का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 238 दि. 05.06.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु दिनांक 03.02.2016 को प्राप्त 3 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स अग्रवाल मिनी अप्पू घर, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दर राशि रुपये 9,05,000/- प्रतिवर्ष (चार किशतों में) निगम को अग्रिम तीन वर्षों तक भुगतान करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में किया जाता है। तीन वर्ष पश्चात निविदा शर्तों के अनुरूप अवधि वृद्धि की जा सकेगी।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 79 दिनांक 10.10.2017

मार्केट रिमूव्हल विभाग के अन्तर्गत सार्व. स्थानों, फुटपाथ, सड़को से जप्त किये जाने वाले सामान को छोड़ने हेतु अपराध शमन शुल्क का निर्धारण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 975 दि. 28.08.2017 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 251 दिनांक 29.09.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मार्केट रिमूव्हल विभाग के अन्तर्गत सार्व. स्थानों, फुटपाथ, सड़कों से जप्त किये जाने वाले सामान को छोड़ने हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के प्रावधान अनुसार अपराध शमन शुल्क राशि अधिकतम रूपये 5000/- ( अधिकतम राशि रूपये पांच हजार तक) तक वसूलने की स्वीकृति सर्वसम्मति से निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 82 दिनांक 10-10-2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 31/सीई/बिल्स/ दिनांक 09.10.017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2017 -2018 में विभिन्न बजट मदों में प्राप्त प्रस्तावों के कारण राशि की कमी को दृष्टिगत रखते हुवे कॉलम नं. 4 में दर्शित का राशि का पुनर्विनियोग कॉलम नं. 7 में पृथक-पृथक चाही गई राशि कुल राशि रूपये 10800.00 लाख का पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से निम्नानुसार दी जाती है:-

(राशि लाखों में)

अनु. क्र.	बजट मद का नाम/एन.एम.ए. एम. कोड जिसमें से राशि का पुनर्विनियोग किया जाना है	बजट प्रावधान राशि रूपये	पुनर्विनियोग की जाने वाली राशि	बजट मद का नाम/एन.एम.ए.एम. कोड जिसमें राशि पुनर्विनियोग किया जाना	वर्ष के बाकी माह में लगने वाली अनुमानित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	
	4103067	रिंग रोड का विकास	700.00	400.00	4102099	झोनल कार्यालय वार्ड कार्यालय निर्माण व्यय	200.00
	4102038	राजीव आवास योजना पर व्यय	500.00	300.00	4101005	उद्यानों का विकास व्यय	2100.00
	4101041	विभिन्न क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने हेतु व्यय	500.00	300.00	4101044	मुख्य मार्गों पर सेन्ट्रल डिवाइडर का विकास व्यय	1000.00
	4103096	मुख्य सडकों का मेटलीकरण	400.00	200.00	4103001	झोनल सडकों का सीमेन्टीकरण	3600.00
	4101009	पितृ पर्वत योजना	500.00	300.00	4102005	शाला भवन निर्माण / विस्तारीकरण	700.00
	4101051	शहर के विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्यीकरण एवं बगीचों सडक किनारे हरियाली विकास पर व्यय	1500.00	1000.00	2303099	सार्वजनिकस्थानों/सडकों के किनारे संधारण कार्य पेव्हर्स ब्लॉक इत्यादि	1200.00
	4103008	रोड साईड एवेन्यू प्लांटेशन (प्रोजेक्ट ग्रीन)	1000.00	500.00	4103036	शहरी गरीब/सफाई कर्मचारी/पिछड़ी बस्तियों में सडकों पर व्यय	1000.00
	4101036	पिपल्याहाना तालाब विकास व्यय	500.00	400.00	4108052	शहरी गरीब/अ.ज.जा. /क्षेत्रों का विकास पर व्यय	1000.00
	4103034	जनसहयोग से सडकों का निर्माण (निगम अंशदान)	3300.00	500.00			
	4108054	सांवेर रोड पालदा लसुडिया एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	1500.00	500.00			

अविरत.....2

4108036	विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श वार्डों के लिये अधोसंरचना एवं सुविधा कार्य पर व्यय	1000.00	500.00			
4108080	आय.डी.ए. से हस्तांतरित कालोनी में विकास कार्य पर व्यय	500.00	300.00			
4108006	नवीन स्विमिंग पुलों का निर्माण	500.00	300.00			
4103098	विकास योजना अनुरूप सडक चौडीकरण में आवश्यक भूमि भवनों का अधिग्रहण	100.00	50.00			
4108013	नहर भंडारा झील के विकास पर व्यय	100.00	50.00			
4101038	कोर एरिया डेव्हलपमेंट पर व्यय	500.00	500.00			
4101041	विभिन्न क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने पर व्यय	500.00	400.00			
4108007	अटल खेल संकुल का विकास	300.00	200.00			
4103004	सब-वे ब्रिज फ्लाय ओवर	1000.00	900.00			
4103021	लिनक रोड का विकास (चरण-3)	3000.00	1000.00			
4103037	फिडर रोड का विकास (द्वितीयचरण)	3000.00	300.00			
4108027	मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास पर व्यय	1000.00	900.00			
2305086	गतवर्ष के बकाया बिलों का भुगतान	1500.00	1000.00			
	कुल योग-	23400.00	10800.00		कुलयोग-	10800.00

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 10.10.2017

शहर के विभिन्न स्थानों पर 100 सार्वजनिक पेशाबघरों पर विज्ञापन के अधिकार देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1425 ए दिनांक 03.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नागरिकों की सुविधा के लिए निर्मित किये गये पेशाबघरों में संचालन/संधारण एवं साफ-सफाई व्यवस्था जिसमें सफाई के लिए सफाई मित्र, फिनायॅल, ब्लीचिंग, चूना, ब्रश एसीड एवं टैंकर के माध्यम से धुलाई इत्यादि करने पर निगम द्वारा प्रतिवर्ष लगभग अनुमानित व्यय राशि रूपये 1,82,24,304/- होने से शहर में स्थित 275 पेशाबघरों में से 100 सार्वजनिक मूत्रालयों पर म.प्र. आउटडोर मीडिया डिवाइस नियम 2017 के तहत विज्ञापन के अधिकार देने तथा विज्ञापन की नवीन नीति अनुरूप निविदा आमंत्रित कराई जावें।

3. स्मार्ट सिटी योजना में पेन सिटी क्षेत्र के प्रस्ताव के तहत सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक सुविधाघरों के रखरखाव की कार्यवाही भी की जाना है। अतः उक्त संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ करने हेतु कार्यपालन संचालक, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट लिमिटेड को अधिकृत करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर



मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 84 दिनांक 10.10.2017

शहर के विभिन्न स्थानों पर 80 सामुदायिक शौचालयों पर विज्ञापन के अधिकार देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 03.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नागरिकों की सुविधा के लिए निर्मित किये गये शौचालयों में जनसुविधा हेतु रख-रखाव एवं अन्य कार्य पर निगम द्वारा प्रतिमाह लगभग राशि रूपये 15,000/- व्यय होने से शहर में स्थित 80 सामुदायिक शौचालयों पर म.प्र. आउटडोर मीडिया डिवाइस नियम 2017 के तहत विज्ञापन के अधिकार देने तथा विज्ञापन की नवीन नीति अनुरूप निविदा आमंत्रित कराई जावें।

3. स्मार्ट सिटी योजना में पेन सिटी क्षेत्र के प्रस्ताव के तहत सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक सुविधाघरों के रखरखाव की कार्यवाही भी की जाना है। अतः उक्त संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ करने हेतु कार्यपालन संचालक, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेन्ट लिमिटेड को अधिकृत करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 85 दिनांक 10.10.2017

57 सिटी बस स्टॉप के संचालन व संधारण सहित विज्ञापन के अधिकार देने हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1270 दिनांक 14.09.2017 पर प्रभारी यातायात एवं परिवहन प्रबंधन विभाग की राय दिनांक 09.10.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 57 सिटी बस स्टॉप पर विज्ञापन के अधिकार संचालन एवं संधारण करने की शर्त पर पूर्व में बी.ओ.टी पर दिये गये थे। जिसकी अवधि दिनांक 11.07.2017 को समाप्त हो जाने से निगम आय को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सिटी बस स्टॉपों को मध्यप्रदेश विज्ञापन आउटडोर मीडिया नियम 2017 में बनाये गये नियमों के तहत वित्तीय ऑफर प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है।

क्र.	बस स्टॉप का नाम	क्रं.	बस स्टॉप का नाम
01.	अग्रसेन चौराहा फोरेस्ट ऑफिस के पास	21	महेश गार्ड लाईन पंप के सामने
02.	अग्रसेन चौराहा फोरेस्ट ऑफिस के सामने	22.	मालवा मिल राजकुमार ब्रिज
03.	अग्रसेन चौराहा मजदूर चोक टर्न	23.	महू नाका सुलभ काम्पलेक्स
04	बाल विनय मंदिर	24.	पाकीजा के सामने
05.	बंगाली जैन मंदिर	25.	पटेल ब्रिज के ऊपर
06.	भवर कुँआ थाने के सामने	26	पटेलब्रिज के पास मस्जिद के सामने
07.	बाम्बे हास्पिटल के सामने	27	पोलो ग्राउण्ड चौराहा
08.	दवा बाजार के पास	28.	पोलो ग्राउण्ड चौराहा
09.	दवा बाजार के सामने	29.	राजकुमार ब्रिज जेल के सामने
10	ढक्कन वाला कुआँ स्कूल के पास	30	राजकुमार ओवरब्रिज
11	ढक्कन वाला कुआँ (नियर कब्रिस्तान)	31.	रसोमा ग्रेन्ट्री
12.	पार्क मनपसंद	32.	रेल्वे रिजर्वेशन ऑफिस
13.	गंगवाल पॉवर हाऊस	33	एस.पी. आफिस
14.	जंजीरवाला चौराहा मालवा मील की तरफ	34	शिवाजी पार्क के पास
15.	जानकी नगर टर्न	35.	सीद्धि विनायक ग्रेनाईट
16.	कपास भवन के पास	36.	वेलोसीटी टॉकीज के पास
17.	कपास भवन के सामने	37.	वेलोसीटी टॉकीज के सामने
18.	खजराना चौराहा	38.	वाईट चर्च के पास
19.	खजराना पूलीया	39.	वाय.एन. रोड एन.टी.सी. के पास
20.	मधु मिलन चौराहा		

ekMu c l LVki

Ø-	c l LVki dk uke	Ø-	c l LVki dk uke
1	सिटी सेंटर	10	नारायण कोठी(बास्केट बाल)
2	कलेक्टर चौराहा	11	प्रताप नगर चौराहा
3	दशरहा मैदान	12	प्रेस्टीज कॉलेज
4	फॉर्च्युन लैंडमार्क	13	रेल्वे स्टेशन के सामने
5	गांधी हाल	14	रेल्वे कालोनी (रेल्वे स्टेशन)
6	गंगवाल बस स्टैंड	15	युनिवर्सिटी के पास आर.एन.टी
7	एम.वाय चौराहा	16	विजय नगर झोनल ऑफिस
8	मधुमिलन चौराहा	17	वाय.एन रोड के पास
9	महुनाका काला घोडा	18	वाय.एन रोड एस.जी.एस.आई.टी.एस चौराहा

3. बस स्टॉप पर विज्ञापन से होने वाली आय को शहर के सार्वजनिक शौचालयों व मूत्रालयों के संचालन व संधारण कार्य हेतु उपयोग किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 86 दिनांक 10.10.2017

निसारपुर-जिला धार में विस्थापितों हेतु अस्थाई आवासों हेतु पानी सप्लाय एवं विद्युत व्यवस्था के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 15 दिनांक 06.06.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज की राय क्रमांक 05 दिनांक 22.06.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपररान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में संक्षेपिका में उल्लेखित सदर कार्य हेतु शासन से प्राप्त राशि रूपये 11.69 करोड़ के कार्य की अल्प निविदा आमंत्रण करने की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्योंत्तर स्वीकृति/पुष्टि सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय शासन से प्राप्त राशि बजट मद में से होगा।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह.)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 87 दिनांक 10.10.2017

निसारपुर-जिला धार में मलवाडा इन्टेकवेल से गणपुर वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक विद्युत एवं अन्य संधारण कार्य एवं गणपुर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से निसारपुर तक नवीन 300 एम.एम.डी.आय पाईप लाईन डालने का कार्य तथा निसारपुर में अस्थाई आवासीय स्थलों तक डिस्ट्रीब्यूशन एच. डी.पी.ई. पाईप लाईन डालने का कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 16 दिनांक 16.06.2017 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की राय क्रमांक 06 दिनांक 22.06.2017 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 8,86,27,000/- की दिनांक 29.05.2017 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स एशियाटीक ट्रेडर्स, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 5.77 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 51,13,777/- इस प्रकार कुल आकार राशि रुपये 9,37,40,777/-के कार्य की निविदा दर, वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्योत्तर स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी करने की पुष्टि सर्वसम्मति से की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह.)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 88 दिनांक 10.10.2017

निसारपुर जिला-धार में विस्थापितों हेतु 1500 अस्थाई आवास बनाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 14/सीई/बिल्स/17-18 दिनांक 06.06.17 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रु. 8,24,21,138/-के कार्य हेतु प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स सी.एम.एम. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 13.61 प्रतिशत अधिक सहित राशि रूपये 9,36,38,655/- तथा कंसलटेन्ट मेहता एण्ड एसोसिएट्स को कंसलटेन्सी फीस 3.60 प्रतिशत रूपये 33,70,992/- सहित कुल राशि रूपये 9,70,09,647/- की निविदादार, वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत् समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 89 दिनांक 10.10.2017

गणेश उत्सव हेतु झांकी निर्माण हेतु मिलों को वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान देने बाबत आयुक्त की टीप पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त नोटशीट पृ. क्रमांक 08 पर टीप एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2017-18 हेतु प्रतिवर्षानुसार गणेश उत्सव की झांकी निर्माण के लिए मिलों को अनुदान राशि देने की कार्योत्तर पुष्टि/स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से निम्नानुसार दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "आर्थिक सहायता एवं अनुदान" में से होगा। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे।

अनु. क्र.	संस्था एवं आवेदक का नाम	पता	स्वीकृत की गई राशि रूपये
01	राजकुमार मिल गणेश उत्सव समिति	7, न्यू देवास रोड (राजकुमार मिल परिसर इन्दौर)	60,000/-
02	हुकमचंद मिल सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति, इन्दौर	642/18 मेघदूत नगर, इन्दौर	60,000/-
03	मालवा मिल श्री गणेश उत्सव समिति, इन्दौर	31, न्यू देवास रोड, इन्दौर	60,000/-
04	कल्याण मिल सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति, इन्दौर	1629/18 नंदानगर, इन्दौर	60,000/-
05	स्वदेशी मिल्स गणेश उत्सव समिति, इन्दौर	7, शीलनाथ कैम्प, इन्दौर	60,000/-

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-काउंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर